

पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2527532
तार : युनिवर्सिटी
फैक्स : 0734-629540



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/17/3073

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर - 452 001
दिनांक :

प्रति,

27 NOV 2017

प्राचार्य/संचालक,
विक्रान्त इंस्टिट्यूट ऑफ इन्टीग्रेटेड एण्ड एडवांस स्टडीज,
ग्राम बोरखेडी, तह. महू,
जिला-इन्दौर।

विषय:- महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता सत्र 2017-18 के लिये प्रदान करने विषयक।

सन्दर्भ: आपका पत्र क्रं. VIAS/Renewal of Affiliation/2017-18/840, दिनांक 12/04/2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार संदर्भित पत्र के संबंध में लेख्य है कि आपके द्वारा निम्न पाठ्यक्रमों का शैक्षणिक सत्र 2017-18 का अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता शुल्क रूपरेखा अर्थात् 2,70,000/- एम.पी.आनलाइन आई.डी.नं.17040324890294104939 दि. 03.04.2017 के द्वारा विश्वविद्यालय में जमा किये हैं।


क्र.	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	बी.बी.ए.	180
2	बी.सी.ए.	60

अतः उपरोक्तानुसार पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक सत्र 2017-18 में सशर्त अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता जारी है।

शर्त:-

1. विश्वविद्यालय परिनियम क्रं.27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
2. महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन aishe.gov.in के पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
3. महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना स्वपोषित इकाई अनिवार्यतः रूप से प्रारंभ की जावे। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सुचारु रूप से संचालन हेतु रुपये 10/-प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी के मान से शुल्क लिया जा सकता है।

आदेशानुसार,


कुलसचिव

दिनांक 27 NOV 2017

पृ.क्र.शैक्षणिक/सम्बद्धता/17/
प्रतिलिपि:-

1. उपकुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन) दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
2. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, दे.अ.वि.वि. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहा.कुलसचिव(शैक्ष.)